सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
प्रार्थना पत्र सं.ः—2020 / 00137 दर्ज तिथिः—31.08.2020

1. भगवानाराम पुत्र हरींगाराम
2. सुगणी पत्नी भगवानाराम
   जाति विश्नोई निवासी भलीसर, तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर।

...........प्रार्थी

बनाम

1. किशनाराम पुत्र हेमाराम
2. बाबूलाल पुत्र हेमाराम
3. ओमप्रकाश पुत्र हेमाराम
4. सोहनलाल पुत्र हेमाराम
5. झमकु पत्नी हेमाराम
6. रूघनाथ पुत्र सुजानाराम
7. रामजीवन पुत्र सुजानाराम
8. विरा पत्नी सुजानाराम
9. हीराराम पुत्र नरसिंगाराम
10. भगवानाराम पुत्र नरसिंगाराम (फौत के कायम मुकाम)
    10 / 1 रामलाल पुत्र भगवानाराम
    10 / 2 चुनाराम पुत्र भगवानाराम
11. रामकिशन पुत्र नरसिंगाराम
12. विरधाराम पुत्र नरसिंगाराम
13. सुरती पत्नी नरसिंगाराम
14. कमला पत्नी जयराम
15. सोनी पत्नी धर्माराम
16. केशाराम पुत्र धनाराम
17. हड़मान पुत्र धर्माराम
18. मंगलाराम पुत्र धनाराम
19. भाखराराम पुत्र धनाराम
20. वली पत्नी सांवताराम (फौत के कायम मुकाम पहले से रेकॉर्ड पर विलोपित)
21. भीखाराम पुत्र सांवताराम
22. सदराम पुत्र सांवताराम फौत के कायम मुकाम
    22 / 1 बुधराम पुत्र सदराम
    22 / 2 प्रकाश पुत्र सदराम
    22 / 3 भजनलाल पुत्र सदराम
    22 / 4 रमेश पुत्र सदराम
23. लूंगादेवी पत्नी सदराम
    जाति विश्नोई निवासी भलीसर तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

..................असल अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:52:53 IST
Reason: SelfAttested

24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना ....तरतीबी अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री ओमप्रकाश विश्नोई
अप्रार्थीगणः—श्री रामनिवास विश्नोई

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128
राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—15.10.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128 राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 407 / 1 6—00 बीघा,खसरा संख्या 407 / 3 9—00बीघा,खसरा संख्या 407 / 6 18—00 बीघा वाके ग्राम भलीसर तथा खसरा संख्या 429 वाके ग्राम बूढे का तला पटवार मण्डल भलीसर तहसील धोरीमन्ना में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार धोरीमन्ना के यहां प्रार्थना—पत्र पेश किया। जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना के आदेश 704 दिनांक 27.07.2020 की पालना में दिनांक 29.07.2020 को 407 / 1 6—00 बीघा,खसरा संख्या 407 / 3 9—00बीघा,खसरा संख्या 407 / 6 18—00 बीघा वाके ग्राम भलीसर तथा खसरा संख्या 429 वाके ग्राम बूढे का तला पटवार मण्डल भलीसर तहसील धोरीमन्ना पटवारी हल्का द्वारा उक्त आराजी का सीमांकन करने हेतु पहूंचे लेकिन मौके पर विवाद की स्थिति में सीमाज्ञान नहीं किया जा सका। अप्रार्थीगण मौके पर असंतुष्ट होकर पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। असल अप्रार्थीगण संख्या 1से 8 विधिवत तामील अनुपस्थित होने के कारण अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। असल अप्रार्थीगण संख्या 09—23 असालतन—वकालतन हाजिर न्यायालय होकर जवाब प्रार्थना पत्र मय विशेष आपतियां काउण्टर सहित प्रस्तुत की।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 29.07.2020 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:52:53 IST
Reason: SelfAttested

निवेदन किया है। दौराने बहस अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 395/23.7955 है0, खसरा संख्या 415/18.3241है0 वाके ग्राम भलीसर तथा खसरा संख्या 430/6.3212 है0 ग्राम बूढे का तला पटवार मण्डल भलीसर की भी प्रार्थी के खसरों के साथ नेखमबंदी करने का निवेदन किया गया।

4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.—****(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

5. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***128. Boundary disputes. -*** *All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> *Provided that applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 29.07.2020 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:52:53 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार धोरीमन्ना के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश करने पहुंचे लेकिन विवाद की स्थिति में पेमाईश नहीं की जा सकी। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। तथा विप्रार्थी गण को अपने आराजी खसरों की नेखमबंदी हेतु अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा—128 भू—राजस्व अधिनियम—1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 407/1 6—00 बीघा,खसरा संख्या 407/3 9—00 बीघा,खसरा संख्या 407/6 18—00 बीघा वाके ग्राम भलीसर तथा खसरा संख्या 429 वाके ग्राम बूढे का तला पटवार मण्डल भलीसर तहसील धोरीमन्ना पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी कर सीमा निर्धारण किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार नोखड़ा को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 15.10.2024 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:52:53 IST
Reason: SelfAttested